न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

(1) रैफरेंस संख्या 11/2013

कुवंरसिंह पुत्र बदनसिंह जाति जाट निवासी रीठोटी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती वीरमती विधवा मोहनसिंह
2. सुगडसिंह पुत्र मोहनसिंह
3. भूरा पुत्र मोहनसिह
4. चन्द्रभान पुत्र मोहनसिंह

} जाति जाट निवासी ग्राम रीठोटी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

5. हरीसिह पुत्र नन्दराम (मृतक)

5.1 छज्जू
5.2 रामवीर
5.3 नैमसिह

} पुत्रान स्व0 हरीसिंह जाति जाट निवासी रीठौटी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

6. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

रैफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत पिचूमर पंचायत समिति कुम्हेर दिनांक 04.11.1977 बाबत नामान्तरकरण संख्या 163 ग्राम रीठोटी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

उपस्थित :– 1. श्री महाराज सिंह डांगुर, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री गोविन्द सिंह डांगुर, अप्रार्थीगण
2. राजकीय अभिभाषक

(2) रैफरेंस संख्या 12/2013

कुवंरसिंह पुत्र बदनसिंह जाति जाट निवासी रीठोटी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

1. श्रीमती वीरमती विधवा मोहनसिंह
2. सुगडसिंह पुत्र मोहनसिंह
3. भूरा पुत्र मोहनसिह
4. चन्द्रभान पुत्र मोहनसिंह

} जाति जाट निवासी ग्राम रीठोटी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

5. हरीसिह पुत्र नन्दराम (मृतक)

5.1 छज्जू
5.2 रामवीर
5.3 नैमसिह

} पुत्रान स्व0 हरीसिंह जाति जाट निवासी रीठौटी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

6. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

रैफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत पिचूमर पंचायत समिति कुम्हेर दिनांक 10.06.1978 बाबत नामान्तरकरण संख्या 165 ग्राम रीठोटी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

उपस्थित :– 1. श्री महाराज सिंह डांगुर, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री गोविन्द सिंह डांगुर, अप्रार्थीगण
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 25.02.2021

उपरोक्त दोनों रैफरेस प्रकरण संख्या 11/2013 कुवंरसिंह बनाम वीरमती वगैरा एवं रैफरेंस संख्या 12/2013 कुंवरसिंह बनाम वीरमती वगैरा में एक ही पक्षकार होने तथा विवादित निर्णायक बिन्दु एक ही होने से दोनों रैफरेंस प्रकरणों में एक ही बहस सुनी जाकर एक आदेश से प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। पत्रावलियों को संलग्न किया जाकर एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है।

रैफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार एवं वकील अप्रार्थी0 की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्को में प्रार्थना पत्र में अंकित रैफरेस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि आराजी खसरा नम्बर 402 रकबा 13 विस्वा जिसका वर्तमान नम्बर 712/0.15 ग्राम रीठोटी तहसील कुम्हेर सार्वजनिक रास्ते की भूमि है जो राजस्व रिकार्ड में भी पुरातन काल से गैरमुमकिन रास्ता दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजी का अवैध रूप

से नियमन करते हुये नायव तहसीलदार कुम्हेर ने अपने आदेश दिनांक 31.01.1970 नामान्तरकरण संख्या 127 से आवंटी जगराम के नाम गैर खातेदारी के इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया गया है जो न्यायालय श्रीमान् द्वारा अपील में दिनांक 03.03.2010 को पारित निर्णय में खारिज कर दिया गया है एवं रैफरेंस प्रस्तुत करने के निर्देश तहसीलदार कुम्हेर को दिये गये है। विवादित आराजी रास्ते की भूमि है जिस पर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खतेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। न्यायालय श्रीमान के निर्णय दिनांक 03.03.2010 की पालना में तहसीलदार कुम्हेर ने रैफरेस प्रस्तुत करने की कार्यवाही नहीं की है और रैफरेंस प्रार्थना पत्र प्ररतुत करने से साफ मना कर दिया।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्को में जाहिर किया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 03.03.2010 के विरूद्ध अपील न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर में प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है इसलिये न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर का निर्णय फाइनल नहीं है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि साविक खसरा नम्बर 402 जिसका हाल खसरा नम्बर 712/0.15 वाकै ग्राम रीटौटी तहसील कुम्हेर का नियमन जगराम को दिनांक 26.11.1968 के आदेश के बाद इन्तकाल नम्बर 127 दिनांक 31.01.2007 से जगराम को गैरखातेदारी प्रदान की गई और इन्तकाल नम्बर 163 से जगराम को खातेदारी प्राप्त हुई और उसके बाद जगराम से दिनांक 20.12.1977 को क्रय कर लिया और 1977 में ही अप्रार्थीगण के पिता काबिज थे और उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण काबिज है और अप्रार्थीगण के पिता के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गई। नामान्तरकरण संख्या 127 जो दिनांक 26.11.1968 की पालना में भरा गया है। उक्त आदेश आज भी प्रभाव में है दिनांक 26.11.1968 के विरूद्ध आज तक कही भी कोई अपील रिवीजन व रैफरेंस प्रस्तुत नहीं हुआ है और दिनांक 03.03.2010 के विरूद्ध अपील भी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिय। नामान्तरकरण संख्या 163 को निरस्त नहीं किया जा सकता क्योकि उसके बाद के द्वारा विकय किये जाने के बाद विकय पत्र के आधार पर इन्तकाल भरा गया है उसके विरूद्ध भी कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई है। इन्तकाल नम्बर 163 दिनांक 10.06.78 को गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त हुई है उक्त नामान्तरकरण का रैफरेस इतने लम्बे समय बाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जहां व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

गये हो वहां आवंटन भी निरस्त नहीं किया जा सकता। रैफरेंस के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है लेकिन साधरणतया 1 साल की अवधि में रैफरेंस प्रस्तुत जाना चाहिये। उक्त रैफरेसं 35 साल बाद प्रस्तुत किया गया है जो काबिल खारिजी के है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथनो के समर्थन में आर.बी.जे. 2005 पेज 418, आर.बी.जे. 2018 पेज 206, आर.आर.टी. 2017(1) पेज 182, आर.बी.जे. 262, आर.आर.टी. 2017(2) पेज 1136, आर.बी.जे. 2005 पेज 435, आर.आर.टी. 2016 (1) पेज 288, आर.बी.जे. 1999 पेज 53, आर.बी.जे. 2010 पेज 688, आर.बी.जे. 1196 पेज 487 उद्धरित की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक उभयपक्ष के कथनो पर गौर किया गया। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 163 से जगराम पुत्र जीवाराम कौम फौजदार गैरखातेदार से खातेदारी के इन्द्राज किये गये है एवं नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक 10.06.1978 द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर जगराम पुत्र जीवाराम कौम फौजदार सा.देह खोतेदार के स्थान पर हरीसिंह पुत्र नन्दराम कौम फौजदार के नाम विवादित आराजी के इन्द्राज आये है। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 03.03.2010 से आदेश दिनांक 31.01.1970 बाबत नामान्तरकरण खातेदारी विवादित आराजी निरस्त किये गये है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी खसरा नम्बर 402 (13 विस्वा) हाल नम्बर 712 (0.15) ग्राम रीठौटी की किस्म गैरमुमकिन रास्ता होने के आधार पर पश्चातवर्ती नामान्तरकरण 163 व 165 को निरस्त कराये जाने हेतु रैफरेंस प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलवध जमाबन्दी सम्बत 2067–2070 में उक्त नम्बर की किस्म गैरमुमकिन गोत दर्ज है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 03.03.2010 के विरूद्ध माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के यहां अपील लम्बित है जिसमें जगराम के नाम खातेदारी के इन्द्राज निरस्त किये गये है। अतः अपील लम्बित रहते उसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरणों के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय किया जाना विधि सम्मत नहीं है। राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 में कृषि भूमि के आवंटन सम्बन्धी प्रावधान है। उक्त नियम 14 में आवंटन की शर्ते निहित है। नियम 14 (4) के अनुसार "उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा या नियम 21 निरसित नियमों के अधीन तहसीलदार द्वारा किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर निरस्त करने की कलक्टर को शक्ति होगी,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

यदि आवंटन कपट या दुव्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया हो, या नियमों के विरूद्ध किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तो में से किसी भी शर्त को भंग किया हो"। इस प्रकार उक्त नियमों में नियम विरूद्ध किये गये आवंटन के विरूद्ध कार्यवाही के प्रावधान दिये है। प्रार्थी द्वारा अपने रैफरेंस में अनुतोष में केवल पश्चातवर्ती गैरखातेदारी से खातेदारी में नामान्तरकरण एवं खातेदारी के बाद बेचान के नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने को रैफरेंस माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाये जाने को कहां है। प्रार्थी द्वारा मूल आवंटन को कही भी चैलेन्ज नहीं किया गया है। राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 में नियम 14(4) में आवंटन निरस्त के सम्बन्ध मे प्रावधान अंकित है साथ ही इस न्यायालय के आदेश दिनांक 03.03.2010 के विरूद्व अपील भी माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के यहां लम्वित है। इस प्रकार उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 163 व 165 माननीय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के यहां लम्बित अपील के परिप्रेक्ष्य में रैफरेंस योग्य नहीं पाये जाते है। यदि प्रार्थी आवंटन को निरस्त कराना चाहते तो सम्बन्धित तहसीलदार के समक्ष 14(4) की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। उक्त तथ्यों के आधार पर रैफरेंस खारिज योग्य पाते है।

अतः आदेश है किः—

उपरोक्त विवेचनानुसार रैफरेस प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार कुम्हेर को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)